जनवरू vs सुवालाल 228/2023

13/3/24 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/3/24 को पेश हों।

20/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित प्रति.सं. 1 लगा 5 की ओर से दि0 9/2/24 को अण्डरटेकिंग पेश करने के उपरान्त भी आज तक वकालतनामा व जवाबदावा पेश नहीं किया है। प्रतिवादीगण को वकालतनामा व जवाबदावा पेश करने हेतु न्यायहित मे एक ओर अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते पेश करने जवाबदावा व वकालतनामा पेश करने हेतु दि0 3/4/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

3/4/24 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/5/24 को पेश हों।

15/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रति. सं. 1 लगा 5 की ओर वकालतनामा व जवाबदावा पेश करने हेतु न्याय हित मे अन्तिम अवसर दिया गया था। प्रतिवादीगण व उनके वकील अनुपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 लगा 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली दि0 31/5/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

31/5/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस वाद पत्र उभयपक्ष सुनी गई। वादी की ओर से पेश वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। [illegible] [illegible] प्रकार से [illegible] जारी होवे बाद तामील पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] दर्ज कर [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :223/2023
निर्णय दिनांक : 31.05.2024

जनकू देवी पत्नी स्व. श्री रामगोपाल, निवासी– मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

सुवालाल शर्मा पुत्र श्री रामजीवण शर्मा
चौथमल शर्मा पुत्र श्री रामजीवण शर्मा,
कल्लीदेवी पत्नी स्व0 श्री कृष्ण शर्मा,
कैलाश पुत्र स्व0 श्री राधा शर्मा,
बाबूलाल पुत्र स्व० श्री राधेश्याम शर्मा,
समस्त निवासीगणः–ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

वादी ने वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 डिक्री किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 72 पुराना 66 के खसरा नम्बर 1253 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर वादग्रस्त सम्पत्ति में व वादग्रस्त सम्पत्ति की सीमा पर बनी हुई सीमाओं व मेडबन्दी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व उनके परिवारजन एवं प्रतिनिधि नष्ट नही करे, ना ही मिटाये, ना ही वादग्रस्त सम्पत्ति पर बनी हुई मेडबन्दी के अन्दर घुसकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अवैधानिक रूप से अतिक्रमण, कब्जा नही करें, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें, ना ही वादी को बेदखल करें, ना ही वादग्रस्त सम्पत्ति

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पर बनी हुई मेडबन्दी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन करे, ना ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें, ऐसा ना तो स्वंय करे ना ही किसी एजेंट, सर्वेट इत्यादि से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। दिनांक 09.02.2024 को पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ने जवाब दावा एवं वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से को जवाब दावा एवं वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर दिया गया था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 डिक्री किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 72 पुराना 66 के खसरा नम्बर 1253 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर वादग्रस्त सम्पत्ति में व वादग्रस्त सम्पत्ति की सीमा पर बनी हुई सीमाओं व मेडबन्दी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व उनके परिवारजन एवं प्रतिनिधि नष्ट नही करे, ना ही मिटाये, ना ही वादग्रस्त सम्पत्ति पर बनी हुई मेडबन्दी के अन्दर घुसकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अवैधानिक रूप से अतिक्रमण, कब्जा नही करें, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें, ना ही वादी को बेदखल करें, ना ही वादग्रस्त सम्पत्ति पर बनी हुई मेडबन्दी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन करे, ना ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें, ऐसा ना तो स्वंय करे ना ही किसी एजेंट, सर्वेट इत्यादि से करावें।

बहस वादी अधिवक्ता एवं वाद पत्र का अवलोकन कराने पर वादी की ओर से पेश वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 स्वीकार किया जाता है। वादी की निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान हेतु सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र तहसीदार सांगानेर को पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो वादी की ओर से पेश सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वाके ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 72 पुराना 66 के खसरा नम्बर 1253 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर स्थित भूमि का सीमाज्ञान करे, दौराने सीमाज्ञान कानून व्यवस्था का ध्यान रखा जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादी की उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान होने के पश्चात् वादी की भूमि की सीमाओं पर दखल नही दें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर